न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी: कमला अलारिया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20 दायर दिनांक : 04.05.2020

भूराराम पुत्र श्री डूंगरराम जाति कुम्हार निवासी चक 9 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

__अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

__रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम एल.आर.एक्ट.1956

उपस्थित:

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक अपीलांट।
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़।

निर्णय दिनांक : 23-3-22

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया संक्षिप्त तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 24.01.2020 को अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम करते हुए अप्रार्थी भूराराम को चक 10 एफ.डी.एम. का प.न. 115/355 के 1.265 है. भूमि पर अतिचारी मानते हुए 50 गुणा तावान मय फसल जप्ति के आदेश अपीलांट के विरूद्ध दिये गये, जिसकी अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.05.2020 को इस आधार पर पेश की गई कि अपीलांट के पीठ पीछे उसे बिना सुने आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन भूमि पोंग बॉध विस्थापित आवंटन नियम 1972 की धारा 6 ए के अन्तर्गत दिनांक 30.06.1992 को बिल मुक्ता 1,94,400/–रूपये एक मुश्त जमा करवाकर पुख्ता आवंटन किया गया था यद्यपि धारा 6 ए पोंग बॉध आवंटन नियम 1972 संविधान विरूद्ध होने से निरस्त कर दी गई किन्तु उक्त नियम के अन्तर्गत किये गये आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त कर जमा कराई गई राशि वापिस नहीं लौटाई गई व विधि अनुसार आवंटी को बेदखल नहीं किया गया व जबतक आवंटिती की रकम जमा है तब तक उसे आवंटन की गई भूमि में काश्त करने का अधिकार है। द्वितीय अपीलांट द्वारा काश्त की गई यह सिद्ध है धारा 22 के अन्तर्गत अतिचारी घोषित होने पर भी उसे फसल उठाने के लिए समय दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया इसलिए फसल कुर्की का आदेश कतई गलत है जहॉ तक तावान का प्रश्न है अपीलांट द्वारा तावान की रकम जमा कराई जानी बताई गई व कुन्ता निरस्त करने हेतू प्रार्थना की गई।

क्रमशः पेज 2 पर.....

जिला कलक्टर
गढ़ (श्री गंगानगर)

मियाद हेतू धारा 5 का प्रार्थना पत्र लगाते हुए आदेश का ज्ञान ना होने व कोरोना महामारी के कारण आने जाने में असमर्थ होने के कारण अपील में हुई देरी को केण्डोन करने की प्रार्थना की गई।

अपील प्राप्त होने पर मियाद का प्रश्न सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया व रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर उन्हें सुना गया। बाद आने रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय शामिल मिस्ल कर तर्क सुने गये।

अपीलांट के योग्य अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहतराते हुए निवेदन किया कि आदेश अपीलाधीन दिनांक 24.01.2020 के विरूद्ध दिनांक 04.05.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है विलम्ब का कारण आदेश अपीलाधीन का ज्ञान ना होना व कोरोना महामारी के कारण आवागमन के साधन बाधित होने से अपील समय पर प्रस्तुत नही की जा सकी गुण दोष का मामला बनता है इसलिए अपील में हुई देरी को केण्डोन किया जाकर अपील में सुनवाई की जावे इसी असर का शपथ पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसका शपथ पत्र से प्रत्युत्तर रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं दिया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकृति योग्य बताते हुए स्वीकार करने की प्रार्थना की व गुणावगुण पर तर्क दिया कि इस मामले में न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए एक की आदेश से एक अपराध के लिए दो बार सजा दे दी गई है प्रथम 50 गुणा तावान लगाया गया है ओर साथ ही फसल कुर्क कर निलामी के आदेश दिये गये जबकि धारा 22 में अतिचारी घोषित किये जाने के पश्चात अतिचारी को अतिचारित भूमि से फसल उठाने हेतू पर्याप्त समय दिये जाने का प्रावधान है। अपने तर्को के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी 1988 पेज 690, आर.आर.डी. 1991 पेज 401 एवं उपिनिवेशन अधिनियम की धारा 22 का अवलोकन करवाया। साथ ही निवेदन किया कि प्रश्नगत् भूमि अपीलांट को पोंग बॉध विस्थापित आवंटन नियम 1972 की धारा 6 ए में आवंटन की गई थी जिसकी निर्धारित रकम आवंटिती के द्वारा जमा करवा दी गई थी यदि ऐसा आवंटन निरस्त भी किया जाता है तो आवंटिती को दिया गया पैसा वापिस लौटाने व विधिवत्त् बेदखल किये जाने के बाद ही यदि वह कब्जा बनाये रखता है तो उसे अतिचारी घोषित किया जा सकता है। अपीलांट को आवंटन निरस्त किये बिना व दिया गया पैसा लौटाये बिना अतिचारी नहीं माना जा सकता ना ही उसके द्वारा काश्त की गई फसल को कुर्क किया जा सकता है। धारा 22 में भी यह प्रावधान है कि अतिचारी को भूमि खाली करने के लिए नोटिस दिया जायेगा व भूमि खाली करने हेतू व फसल उठाने हेतू समय दिया जायेगा, जबकि वर्तमान मामले में दिनांक 03.01.2020 को पत्रावली मुर्तीब की गई व उसी दिन फसल कुर्क करने के आदेश भी दे दिये गये। प्राथमिक रूप से आदेश कतई गलत व कानून विरूद्ध होने से मामला गुणावगुण पर अपीलांट के पक्ष में होना बताते हुए व देरी को केण्डोन कर आदेश अपीलाधीन निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

क्रमशः पेज 3 पर.....

रेत्त जिला कलक्टर
रतगढ़ (श्री गंगानगर)

योग्य अभिभाषक सरकार की ओर से अपीलाधीन आदेश कानून के प्रावधानों के अनुसार होने व अपील मियाद बाहर होने से मियाद के आधार पर अपील को आधारहीन बताते हुए निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया की अपीलांट को यह रकबा पोंग बॉध आवंटन नियमों के अन्तर्गत धारा 6 ए में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 23.06.1992 को आवंटन पटट्ा जारी किया गया है ओर आवंटन रकम 1,94,400/–रूपये बजरिये चालान आवंटिती द्वारा जमा कराये गये थे। यह तथ्य स्वीकृत जिन नियमों के तहत आवंटन किया गया वो नियम माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा संविधान विरूद्ध घोषित कर दिये गये किन्तु राज्य पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये कि माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अपीलांट का आवंटन निरस्त कर उसे वसूल की गई राशि उसे वापिस लौटाकर कब्जा बहक सरकार लिया गया हो। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार इस प्रकिया को अपनाये बिना आवंटिती को अतिचारी माना जाना उचित नहीं ठहराया जा सकता। द्वितीय इस मामले में अपीलांट को अतिचारी घोषित करने के बाद उसके स्वयं की मेहनत से की गई काश्त को हटाने हेतू समय ना दिया जाना भी कानून के प्रावधानों के विपरीत माना जा सकता है इस विषय में अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी. 1988 पेज 690 के पैरा सं. 5 में यह उल्लेखित किया गया है *Nanda vs. State of Rajasthan 1985 RRD 583 it has been held that when the Tehsildar fails to give reasonable time to the trespasser to remove his standing crops, his order in a proceedings under Section 91 of the Act forfeiting the standing crops and depositing the price thereof on the basis of appraisement is clearly without jurisdiction. In the case in hand the Tehsildar has neither gave any opportunity to the non – petitioner to remove his standing crops from the said Govt land nor ordered for the forfeiture thereof on the other hand, he has straight away directed the non – petitioner to deposit Rs. 15/- in lieu of the market value of the crops standing on the said land. The impungned order of Tehsildar is, therefore, patently illegal and without jurisdiction and the same cannot be sustained.*

उक्त न्याय निर्णय में यह माना गया है कि अतिचारी की घोषणा ओर फसल कुर्की का आदेश एक साथ दिया जाना कानून के विरूद्ध है यह इस मामले में पूर्णतया लागू होता है।

उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों का विचारण करने के पश्चात यह पाया जाता है कि मियाद के प्रश्न पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करने पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को गुणावगुण का मामला बनने पर एवं राज्य पक्ष द्वारा शपथ पत्र का प्रति उत्तर शपथ पत्र ना देने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम न्याय हित में स्वीकृति योग्य बनता है। अपील में हुई देरी को माफ करते हुए व अपीलांट को फसल उठाने हेतू समय ना देने से सीधे कुर्की के आदेश कानून के प्रावधानों के विपरीत माने जाने योग्य है।

क्रमशः पेज 4 पर.....

न जिला कलक्टर
ाढ़ (श्री गंगानगर)

अपीलांट द्वारा यह निवेदन किया गया है कि तावान की रकम भरवा दी गई है इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में अतिचारी अपीलांट को मानते हुए आदेश दिनांक 24.01.2020 में कायम तावान को यथावत् रखते हुए शेष आदेश को निरस्त किया जाता है इसी अनुसार आंशिक रूप से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

आदेश सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड आदेश की प्रति सहित लौटाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)